

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर

क्रमांक: RABI79-05

दिनांक: 28/08/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/UDA/0008280

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 4617-624 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी II -2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
गिर्वा	14	Other Than SMF	50%-75%	238000
वल्लभनगर	1531	Other Than SMF	50%-75%	10784777
योग	1545			11022777

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-02-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त,
- विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
- अति. जिला कलेक्टर.....
- तहसीलदार
- जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
- निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
- रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
उदयपुर